[श्री मनोहर लाल]

स्कीम लागू की गई थी और उनका बोनस का अधिकार छीन लिया गया था। जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सी०डी०एस० को खत्म कर दिया गया और बोनस के अधिकार को रेस्टोर कर दिया गया। लेकिन सी०डी०एस० के तहत कर्मचारियों का जो पैसा जमा था, उसे वापस करने के सम्बन्ध में कुछ शर्तें लगा दी गई हैं, जिनके कारण कर्मचारियों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, और बड़ा भ्रष्टाचार भी फैल रहा है। सरकार से मेरा निवेदन है कि जो शर्तें लगा दी गई हैं, उन्हें खत्म करने के सम्बन्ध में मंत्री महोदय एक स्टेटमेंट दें, जिससे कर्मचारियों का व्यापक असंतोष, और भ्रष्टाचार, खत्म हो और सी०डी०एस० के तहत जो पैसा जमा है, वह कर्मचारियों को वापस मिल सकें।

(iii) DACOIT MENACE IN THE CHAMBAL VALLEY

श्री छविराम अर्गल (मुरैना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत चम्बल घाटी में डाकू समस्या के पुनः पैदा होने की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

चम्बल नदी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन तीन राज्यों की सीमा बनाती है। चम्बल नदी के आस-पास का इलाका डाकुओं की वजह से बदनाम और पीड़ित था। माननीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने 1974 में डाकुओं का आत्म-समर्पण कराया। उसके बाद उस क्षेत्र के लोग शान्ति से जीवन व्यतीत करने और विकास-कार्यों में अपना ध्यान लगाने लगे थे। परन्तु खेद की बात है कि उस क्षेत्र में अब स्थिति फिर से बिगड़ गई है।

4-11-77 को परगना अम्बाह, जिला मुरैना के गांव रैपुरा में डाकुओं ने भयानक डकैती डाली। डाकुओं की गोली से एक महिला, सावित्री, की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई एवं डाकुओं की भयंकर गोलीबारी से नाहर सिंह, मायादेवी, दीपा राम, मथुरा सिंह, बैजनाथ सिंह, सिया दुलारी और मायादेवी आदि गम्भीर घायलावस्था में अस्पताल में भर्ती हैं।

5-11-77 को किशोरगढ़ में डकैती पड़ी, जिसमें डाकू एक लाख रुपये का माल लूट कर ले गये। 6-11-77 को जौरा मुरैना रोड पर एक ट्रक के पहिये में गोली मार कर डाकुओं ने ट्रक के माल को लूट लिया। ग्वालियर में, जहां डी०आई०जी, एस० पी०, ए० आई० जी० और डी०एस०पी० रहते हैं, इंद्रगंज थाने के पास डकैती पड़ी। वह कमिश्नरी स्थान है। पुलिस के देखते-देखते डाकू माल लूट कर ले गये और एक आदमी की हत्या कर दी।

इस प्रकार की अनेक घटनायें हो रही हैं। चम्बल नदी के आस-पास के इलाकों में रहने वाले लोग डाकुओं के भय से मुक्त और सुरक्षित हो गये थे। लेकिन अब वे पुनः यह महसूस करने लगे हैं कि उनका वहां रहना मुश्किल हो गया है। वहां पर हरिजन और आदिवासियों की अचल सम्पत्ति को दिन-दहाड़े लूटा जा रहा है। श्योपुर मुरैना में एक हरिजन महिला को जिन्दा जला दिया गया और वह एक मास से मरणासन्न अवस्था में अस्पताल में भर्ती है।

जनता पार्टी की सरकार और प्रधान मंत्री, श्री मोरारजी देसाई, ने यह घोषणा की है कि अगर कहीं हरिजनों तथा आदिवासियों पर अत्याचार या अन्याय होगा, तो वहां के एस०पी० और कलेक्टर को दोषी ठहराया जायेगा। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो घटनायें हो रही हैं,

उनके सम्बन्ध में कितने एस०पीज० और कलेक्टर्ज के खिलाफ कार्यवाही की गई है।

डाकू समस्या को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए और चम्बल बीहड़ तथा अन्य बीहड़ों का समतलीकरण करने के लिए कोई योजना बनानी चाहिए। जब आत्म-समर्पण हुआ था, तो वह कांग्रेस सरकार का डाकुओं के सामने आत्म-समर्पण हुआ था; न कि डाकुओं ने कांग्रेस सरकार के सामने आत्म-समर्पण किया था। उस समय इस समस्या का थोड़ा बहुत हल निकल आया था। जैसा कि मैंने कहा है, यह समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो, इसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा चम्बल बीहड़ का समतलीकरण कराया जाये, और जमीन की कमी को देखते हुए रेवाइन रीक्लेमेशन के अन्तर्गत समतलित की हुई भूमि को हरिजनों और आदिवासियों में बांट दिया जाये।

एक बात मैं और सरकार से कहना चाहता हूं. . .

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप से विंड अप करने के लिए कह रहा हूं।

श्री छविराम अर्गल : मैं नियम के तहत अपनी बात उठाना चाहता हूं, उसमें आप मुझे क्यों रोकना चाहते है?

उपाध्यक्ष महोदय : देखिए 3 बजे नान-आफिशियल बिजनेस यहां पर शुरू होना चाहिए, इस समय 3 बजकर 5 मिनट हो गये है। इसलिए मैं आप से समाप्त करने के लिए कह रहा हूं।

श्री छविराम अर्गल : मैं यह कह रहा था कि डाकुओं ने जब समर्पण किया था तो सरकार के साथ उनका समझौता हुआ था। उसमें उन्हें भूमि बांटने, सहायता देने तथा छात्रवृत्ति आदि देने का वायदा किया गया था। ये सारी चीजें पूरी की जानी चाहिएं डाकुओं को जो जमीन बांटी गई है वह नदी के किनारे की जमीन का पट्टा उन्हें दे दिया गया है या पहाड़ों के किनारे की पड़ती भूमि का पट्टा उन्हें दे दिया गया है। मेरा निवेदन है कि उन्हें काबिले काश्त भूमि का पट्टा देना चाहिए और उनके साथ हुए समझौते को पूरा करना चाहिए। यह भयंकर समस्या है, इसके ऊपर गंभीरता से सरकार को विचार करना चाहिए और इस समस्या को समाप्त करने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Prof. Mavalankar. Before you start raising your matter under rule 377, I would like to take the sense of the House. We have business for another five or ten minutes—Prof. Mavalankar is the only one left to raise matter under rule 377 and then we have to take the vote of the House on Mrs. Parvathi Krishnan's substitute motion.....

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): The Government is not prepared to have any other business after 3 O'Clock. Since it has already been announced that the Private Members' business will start at 3.

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is now upto the House to decide...

PROF. P. G. MAVALANKAR: I am surprised that the Minister of Parliamentary Affairs is taking this attitude....

SHRI RAVINDRA VARMA: I was only referring to the vote on Mrs. Parvathi Krishnan's motion.

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN (Coimbatore): It can be taken up on Monday.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Yes; it has to be.

Prof. Mavalankar.

(iv) CLOSURE OF AHMEDABAD LAKSHMI COTTON MILLS LTD. RESULTING IN UN-EMPLOYMENT TO OVER 1,700 WORKERS.

PROF. P. G. MAVALANKAR (Gandhinagar): I am grateful to you, Mr. Deputy-Speaker, for permitting me to raise the state of affairs of one of the textile mills of Ahmedabad. The Ahmedabad Lakshmi Cotton Mill, which has been more or less closed for the last several months--practically since June this year. But the tragedy of the situation is that, from November 15, the mill is totally closed, and the result is that more than 1,700 workers and several members of clerical and administrative staff have been thrown completely out of job, and the situation has become very serious. All these families of more than 1,700 people are without any assistance because the dues in terms of salaries, wages, provident fund amount, insurance amount, etc., of all these workers, which have to go to the bank in a proper way, have not been credited by the management. Therefore, the problem has become more acute. I want to invite the attention of the Ministers of Industry and of Commerce to this grave matter and I want them to look into this matter urgently because so many hundreds of families are involved. The Minister of Parliamentary Affairs is here, and I hope he will convey this to those Ministers.

My esteemed friend, the Finance Minister, if he was on my side, would have supported me; perhaps he may not do it now because he is in the Government. But the point is this. Coming as I do from Ahmedabad, I know the plight and lot of these unfortunate people who have been without jobs for several months and whose legitimate dues—provident fund and other dues—are not being credited to their account in the bank. [illegible] tionable. Therefore, my point is this. Unless the Government of India and the Government of Gujarat jointly, in a cooperative way, look into this matter and do something quickly, nothing will happen.

Lastly, the bonus has not been paid to the workers of this Mill this year. The workers of the other mills of Ahmedabad—there are more than 65 of them—have got this, but the workers of this particular mill did not get the bonus. Let the hon. Minister of Parliamentary Affairs note this. I am not suggesting that you should immediately take over this mill under your care under the Industries (Development and Regulation) Act of 1951. I know that it has been the practice for the last several years not to take over sick units under this Act. What I want is that the Government of India and the Gujarat Government should jointly look into the matter quickly with a view to restarting this mill. In view of the fact that the ATIRA and other groups have opined about the viability of the mill it is all the more necessary that this mill should be started very urgently. The mill has already got very good equipments and their building and machinery are reportedly in good condition. If the mill is started very soon, the people of my constituency will get immediate and quick relief. Thank you.

15.11 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

EIGHT REPORT

SHRI YADVENDRA DUTT (Jaunpur): I beg to move the following:

"That this House do agree with the Eighth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House o[illegible]